

प्रेषिका,

अमृता शुक्ला  
अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा-

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
जालौन स्थान उरई।

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9691/IV-F-82 (Pension)/admin.A दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा -3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थनापत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी ने उत्तरप्रदेश न्यायिक सेवा में माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं० 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 दिनांकित 26.05.2006 के अनुक्रम में दिनांक 14.06.2006 को जनपद शाहजहांपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थिनी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति 22-28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003 के अंतर्गत हुयी थी। इस प्रकार प्रार्थिनी शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा -3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्र है।

प्रार्थिनी शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा -3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र, पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रही है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

"सादर"

0  
Seen forward  
20/8/24

प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय  
जालौन, स्थान-उरई

दिनांक: 09.08.2024

भवदीया

*Amrita Shukla*  
(अमृता शुक्ला) 9-8-24

अपर प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,  
अपर पारिवारिक न्यायाधीश  
जालौन स्थान उरई।  
कुटुम्ब न्यायालय  
जालौन स्थान-उरई

संलग्नक-

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024 तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा -3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024  
तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा -3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11  
जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी

पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र

1. नाम- **AMRITA SHUKLA**
2. वर्तमान पदनाम- **ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT,  
JALAUN AT ORAI**
3. वेतनमान- **BASIC PAY 1,78,150/- (as on 01.06.2024)**
4. वर्तमान विभाग का नाम- **NYAYA VIBHAG, GOVT. OF UP**
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- **NYAYA VIBHAG, GOVT. OF UP**
6. विज्ञप्ति की तिथि- **A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November 2003**
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- **14.06.2006**
8. योगदान की तिथि- **14.06.2006**
9. जन्मतिथि- **18.01.1978**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- **31.01.2038**

में **AMRITA SHUKLA** पुत्री **SHRI RAMAVTAR SHUKLA** शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 28 जून 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना(✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर..... Amrita Shukla ..  
9-8-24

नाम- **AMRITA SHUKLA**

पदनाम-**ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE,  
FAMILY COURT,**

**JALAUN AT ORAI**

कुटुम्ब न्यायालय

जालौन स्थान-उरई

घोषणापत्र

में **AMRITA SHUKLA** पदनाम **ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE,  
FAMILY COURT, JALAUN AT ORAI** यह घोषणा करती हूं कि उपरोक्त क्रम सं० 1 से  
10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया  
है।

हस्ताक्षर..... Amrita Shukla ..  
9-8-24

नाम- **AMRITA SHUKLA**

पदनाम-**ADDITIONAL PRINCIPAL JUDGE,**

**FAMILY COURT,**

**JALAUN AT ORAI**

कुटुम्ब न्यायालय

जालौन स्थान-उरई

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भेजा जायेगा

पदनाम को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

**प्रधान न्यायाधीश**

**कुटुम्ब न्याय**

**जालौन, स्थान-उरई**